



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 श्रावण 1936 (श0)

(सं0 पटना 651) पटना, मंगलवार, 12 अगस्त 2014

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचनाएं

11 अगस्त 2014

सं0 बिक्री-कर/विविध-94/2006-3624(अनु0)—चूँकि बिहार राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि व्यवसायी राज्य की ओर से कर संग्रहित कर राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं और राज्य के निबंधित व्यवसायी की दुर्घटना मृत्यु की स्थिति में उनके वैध आश्रितों के लिए अनुदान का प्रावधान किया जाना उक्त उद्देश्य को प्राप्त करना आवश्यक है।

बिहार राज्य निबंधित व्यवसायी दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना, 2014

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरम्भ**—(1) यह योजना बिहार राज्य निबंधित व्यवसायी दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना, 2014 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह अधिसूचना के निर्गमन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएँ**—इस योजना में जबतक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो:—

(क) “दुर्घटना” से अभिप्रेत है बाह्य हिंसा द्वारा कारित दुर्घटना के चलते मृत्यु जो दृश्यमान प्रकृति का हो और इसमें शामिल हैं:—ट्रेन या सड़क दुर्घटना, विद्युत स्पर्शाघात, साँप काटना, पानी में डूबना, आग से जलना, वृक्ष अथवा भवन से गिर जाना, जंगली जानवरों द्वारा प्रहार, आतंकवादी अथवा आपराधिक आक्रमण, परमाणु विकिरण तथा युद्ध आदि के कारण मृत्यु, जो भी हो, यह सूची व्याख्यात्मक है और न कि अंतिम:

परन्तु स्वयं पहुँचायी गयी क्षति द्वारा हुई मृत्यु या आत्महत्या या मादक द्रव्यों या मदोन्मत्त दशा के अधीन हुई दुर्घटना या दांडिक अपराध करते समय हुई मृत्यु अथवा स्वाभाविक मृत्यु अथवा रोग द्वारा हुई मृत्यु इसमें शामिल नहीं है:

परन्तु और कि वाणिज्य-कर आयुक्त दुर्घटना मृत्यु के रूप में किसी ऐसी मृत्यु को स्वीकार कर सकेंगे जो योजना की कंडिका 2(क) से आच्छादित नहीं हो;

(ख) “व्यापार उद्यम” से अभिप्रेत है एकल स्वामित्व या हिन्दु अविभक्त परिवार या साझेदारी फर्म के कानूनी हैसियत के तहत व्यवसाय।

(ग) "अंचल प्रभारी" से अभिप्रेत है वाणिज्य-कर उपायुक्त अथवा वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त अथवा वाणिज्य-कर पदाधिकारी, अंचल प्रभारी अथवा आयुक्त द्वारा इस हेतु विशिष्ट रूप से प्राधिकृत पदाधिकारी।

(घ) "वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त" से अभिप्रेत है बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-10 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त पदाधिकारी;

(ङ) "आयुक्त" से अभिप्रेत है बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-10 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त वाणिज्य-कर आयुक्त अथवा उक्त अधिनियम की धारा-2 के खण्ड (ज) में यथापरिभाषित "आयुक्त";

(च) "आश्रित" से अभिप्रेत है मृतक निबंधित व्यवसायी की विधवा/का विधुर, आश्रित पुत्र, अविवाहित पुत्री, माता-पिता, मृतक अविवाहित निबंधित व्यवसायी की स्थिति में, माता-पिता संयुक्त रूप से आश्रित होंगे;

(छ) "निबंधित व्यवसायी" से अभिप्रेत है वैसे व्यक्ति जिनका व्यवसायिक उद्यम वाणिज्य-कर विभाग द्वारा प्रशासित निम्नलिखित अधिनियमों के अधीन निबंधित हैं:-

- (i) बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005
- (ii) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956
- (iii) बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948
- (iv) बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948
- (v) बिहार विज्ञापन कर अधिनियम, 1981
- (vi) बिहार होटल विलासवस्तु कराधान अधिनियम, 1988
- (vii) बिहार स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री हेतु मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993;

(ज) "योजना" से अभिप्रेत है बिहार राज्य निबंधित व्यवसायी दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना, 2014।

3. इसमें प्रयुक्त किन्तु इस योजना में अपरिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005/नियमावली, 2005 में उनके प्रति समनुदेशित किये गये हों।

4. यह योजना वैसे निबंधित व्यवसायियों पर लागू होगी जिन्होंने अपने व्यवसायिक उद्यम के लिए 'स्वीकृत कर' का भुगतान किया हो:

परन्तु इसके उपर संदर्भित 'स्वीकृत कर' से अभिप्रेत दाखिल विवरणी में स्वीकार किये गये कर तथा "संदत" से अभिप्रेत है देय आउटपुट टैक्स के विरुद्ध सामंजन योग्य स्रोत पर की गयी कटौती, प्रवेश कर एवं निविष्ट कर की राशि और भुगतेय अवशेष, यदि कोई हो जिसे चालान के माध्यम से जमा कर दिया गया हो:

परन्तु और कि वैसे निबंधित व्यवसायी, जिनके विरुद्ध अविवादित कर/सूद/शास्ति, जिसमें स्वीकृत कर या न्यायालयों के न्याय-निर्णय से संबंधित बकाया शामिल है, का बकाया हो या अधिनियम के प्रावधानों के अधीन मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 81 की उप-धारा (1) या उप-धारा (2) या उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध किया गया हो, इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।

5. निबंधित व्यवसायी की मृत्यु के मामले में वैध आश्रितों को रू0 2 लाख (दो लाख) का अनुदान रेखांकित चेक/डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा भुगतेय होगा।

6. यह व्यय "व्यय शीर्ष-गैर योजना-मुख्य शीर्ष-2040-बिक्री व्यापार आदि पर कर-लघुशीर्ष-001-निदेशन एवं प्रशासन-उपशीर्ष-0001-निदेशन-3102-अनुग्रह अनुदान के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए उपबंधित बजट राशि से विकलनीय होगा। इसके लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बजट में उपबंध किया जायेगा।

7. अनुदान राशि की निकासी विपत्र कोड-N 2040000010001 के अधीन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना द्वारा की जायेगी एवं संबंधित मृतक के आश्रित को इसका भुगतान किया जायेगा।

8. अनुदान राशि का भुगतान सर्वप्रथम मृतक व्यवसायी द्वारा इस हेतु नामित आश्रित को किया जायेगा तथा नामित किये जाने के अभाव में सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्राधिकार प्रमाण-पत्र/उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र के आधार पर कंडिका-2 की उप-कंडिका 'च' में विनिर्दिष्ट आश्रितों के उपर से क्रम में विधिक आश्रित को किया जायेगा।

9. इस योजना के अधीन अनुदान का दावा एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्नवत् होगी:-

(क) सर्वप्रथम किसी दुर्घटना में मृत्यु की सूचना संबंधित वाणिज्य-कर अंचल प्रभारी को नामित आश्रित/कानूनी आश्रित द्वारा विहित प्रपत्र 'I' में दिया जायेगा।

(ख) तत्पश्चात् संबंधित वाणिज्य-कर अंचल प्रभारी को नामित आश्रित/कानूनी आश्रित द्वारा विहित प्रपत्र 'II' में अनुदान राशि का दावा किया जायेगा।

(ग) वाणिज्य-कर अंचल प्रभारी दावा की जाँच कर इसे सम्पुष्ट करेंगे और मामला को विहित प्रपत्र 'III' में संबंधित वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) को प्रतिहस्ताक्षर हेतु अग्रसारित करेंगे।

(घ) वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) अपनी अनुशंसा के साथ उस दावे को वाणिज्य-कर आयुक्त को भुगतान हेतु अग्रसारित करेंगे।

(ङ.) वाणिज्य-कर आयुक्त का समाधान होने पर कार्यालय आदेश द्वारा इस मद में उपबंधित राशि से दावा-राशि का भुगतान मृतक के नामित आश्रित/कानूनी आश्रित को वाणिज्य-कर अंचल प्रभारी के माध्यम से करेंगे।

10. एक से अधिक निबंधित व्यवसायिक उद्यमों के स्वामी के मामले में, अनुदान की राशि का भुगतान केवल एक व्यवसायिक उद्यम को किया जायेगा।

11. साझेदार फर्म के मामले में, मृत साझेदार के नामित आश्रित अथवा विधिक आश्रित को अनुदान की राशि का भुगतान किया जायेगा।

12. एकल स्वामित्व व्यवसायिक उद्यम के मामलों में, अनुदान राशि का भुगतान नामित आश्रित अथवा कानूनी आश्रित किया जायेगा। अगर मृतक व्यवसायी का एक से अधिक वैध पत्नियाँ हों तो उत्तराधिकार के विधि के अनुसार अनुदान राशि का भुगतान किया जायेगा।

13. दावा प्रस्तुत करने की तिथि से तीन माह के अन्दर अनुदान की राशि का भुगतान कर दिया जायेगा।

14. सभी वाणिज्य-कर अंचलों में इसके लिए प्रपत्र-IV में एक पंजी संधारित की जायेगी जिसमें वर्षवार संबंधित दुर्घटना की जानकारी एवं दावा से संबंधित निर्णय सम्यक रूप से अभिलेखित एवं संरक्षित रहेंगे।

15. राज्य स्तर पर वाणिज्य-कर आयुक्त, बिहार, पटना, प्रमंडल स्तर पर वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) तथा अंचल स्तर पर अंचल प्रभारी में इस योजना का प्रशासनिक नियंत्रण निहित होगा।

16. यदि किसी निबंधित व्यवसायी की बीमा पॉलिसी हो, तो भी उनके आश्रितों को इस योजना के लाभ से वंचित नहीं किया जायेगा।

17. ऐसे सभी पदाधिकारी, जो इस योजना के अधीन निहित कर्तव्यों का निर्वहन जानबूझ कर नहीं करते हों, वे अनुशासनिक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।

18. वाणिज्य-कर विभाग को इस योजना में संशोधन करने तथा इस योजना के कार्यान्वयन के लिए, समय-समय पर, निदेश देने की शक्ति होगी।

**बिहार राज्य निबंधित व्यवसायी दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना, 2014 के अधीन
दुर्घटना में मृत्यु की सूचना से संबंधित "प्रपत्र I"
(तीन प्रतियों में*)**

सेवा में,

वाणिज्य-कर अंचल प्रभारी,

अंचल का नाम:-

विषय: निबंधित व्यवसायी की दुर्घटना में मृत्यु की सूचना।

महोदय,

सूचित करना है कि निम्नांकित निबंधित व्यवसायी की दुर्घटना में मृत्यु हो गयी है, जिसका विवरण निम्नवत् है :-

1. मृतक निबंधित व्यवसायी का नाम
 2. दुर्घटना की तिथि एवं दुर्घटना का संक्षिप्त विवरण
 3. मृत्यु की तिथि
 4. वाणिज्यिक उद्यम नाम/पता
 5. निबंधन संख्या (TIN)
 6. अंचल का नाम..... प्रमण्डल का नाम.....
 7. अनुदान के दावेदार/आश्रित का नाम एवं मृतक से संबंध
- मृत्यु की सूचना देने वाले का नाम/पता/
दूरभाष नं०/मोबाईल नं०/

उक्त व्यवसायी की दुर्घटना मृत्यु अनुदान दावे से संबंधित सभी वांछित प्रपत्र बाद में समर्पित किया जायेगा।

दिनांक :

आश्रित का हस्ताक्षर:-

**बिहार राज्य निबंधित व्यवसायी दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना, 2014 के
अंतर्गत प्राप्ति रसीद**

निबंधित व्यवसायी स्व०की
मृत्यु के संबंध में श्रीमती/श्री.....से दिनांक.....
.....को प्रपत्र 'I' प्राप्त किया।

हस्ताक्षर:.....

नाम:.....

पदनाम:.....

मुहर:.....

तिथि:.....

* प्रथम प्रति-अंचल प्रभारी, द्वितीय प्रति-संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) एवं तृतीय प्रति-वाणिज्य-कर आयुक्त को दी जायेगी।

बिहार राज्य निबंधित व्यवसायी दुर्घटनामृत्यु अनुदान योजना, 2014 के अधीन "अनुदान दावा" से संबंधित "प्रपत्र II"
(तीन प्रतियों में*)

सेवा में,

वाणिज्य-कर अंचल प्रभारी,
अंचल का नाम:-

1. मृतक निबंधित व्यवसायी का नाम
2. पिता/पति का नाम
3. मृतक व्यवसायी की जन्मतिथि
4. व्यवसायिक उद्यम का नाम
5. व्यवसायिक उद्यम का पता
6. व्यवसायी की करदाता पहचान संख्या (TIN).....
7. अंचल का नाम
8. दुर्घटना होने की तिथि
9. दुर्घटना स्थान का पूरा विवरण
10. दुर्घटना का कारण (दुर्घटना का संक्षिप्त विवरण).....
11. दुर्घटना के पश्चात् इलाज का संक्षिप्त विवरण
12. मृत्यु की तिथि
13. मृत्यु का कारण (अस्पताल का प्रमाण-पत्र संलग्न करें).....
14. आश्रित का नाम
15. आश्रित का पता
16. आश्रित का मृतक से संबंध
17. दूरभाष/मोबाईल नम्बर/.....

अनुलग्नक :-

1. मृत्यु प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति
2. पोस्टमार्टम रिपोर्ट की अभिप्रमाणित प्रति
3. प्रथम सूचना रिपोर्ट (F.I.R.) की अभिप्रमाणित प्रति
4. वाणिज्य-कर अंचल के निबंधन प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति
5. दावा वर्ष में कर भुगतान का साक्ष्य

स्थान :-

आश्रित का हस्ताक्षर

दिनांक :-

पता

बिहार राज्य निबंधित व्यवसायी दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना, 2014 के अंतर्गत प्राप्ति रसीद

निबंधित व्यवसायी स्व० के दुर्घटना मृत्यु अनुदान दावा के संबंध में श्रीमती/श्री से दिनांक को अनुदान दावा प्रपत्र 'II' प्राप्त किया।

हस्ताक्षर:.....

नाम:.....

पदनाम:.....

मुहर:.....

तिथि:.....

* प्रथम प्रति-अंचल प्रभारी, द्वितीय प्रति-संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) एवं तृतीय प्रति-वाणिज्य-कर आयुक्त को दी जायेगी।

**बिहार राज्य निबंधित व्यवसायी दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना, 2014 के
अधीन निबंधन, विवरणी एवं "कर भुगतान" से संबंधित "प्रपत्र "III"
(तीन प्रतियों में)*****

यह प्रमाणित किया जाता है कि स्व०
वाणिज्य-कर अंचल के निबंधित व्यवसायी थे, जिनकी करदाता
पहचान संख्या (TIN) थी एवं दुर्घटना की तिथि को इनका निबंधन वैध
था तथा इनके द्वारा वित्तीय वर्ष में रू० के स्वीकृत कर का भुगतान
किया गया है।

2. व्यापार उद्यम में मृतक निबंधित व्यवसाई की हैसियत :

- (i) एकल स्वामित्व
- (ii) साझेदार
- (iii) हिन्दु अविभक्त परिवार (कर्त्ता)
(उक्त में जो लागू न हो उसे काट दिया जाए)

अंचल प्रभारी का हस्ताक्षर एवं मुहर
वाणिज्य-कर अंचल,

प्रति हस्ताक्षरित

वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)

..... प्रमण्डल

(मुहर एवं हस्ताक्षर)

* प्रथम प्रति-अंचल प्रभारी, द्वितीय प्रति-संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) एवं तृतीय प्रति-वाणिज्य-कर आयुक्त को दी जायेगी।

** अंचल प्रभारी द्वारा एक प्रति विधिक आश्रित को भेजी जायेगी।

बिहार राज्य निबंधित व्यवसायी मृत्यु अनुदान योजना, 2014 के अधीन पंजी के लिए प्रपत्र-IV

क्र० सं०	प्रपत्र-I प्राप्ति की तिथि	व्यापार उद्यम का नाम	अधिनियम एवं निबंधन संख्या	व्यापार उद्यम की प्रकृति	व्यापार उद्यम के स्वामी/कर्ता साझेदारों का नाम एवं पता	मृतक व्यवसायी का नाम	मृत्यु की तिथि	प्रपत्र-II प्राप्ति तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9

नामित आश्रित/कानूनी आश्रित का नाम एवं पता	नामित आश्रित/कानूनी आश्रित का व्यवसायी से संबंध	प्रपत्र-III निर्गमन की तिथि	वाणिज्य-कर आयुक्त के स्वीकृत्यादेश का कार्यालय आदेश संख्या एवं तिथि	कार्यालय आदेश प्राप्ति की तिथि	विपत्र संख्या एवं तिथि	भुगतान की तिथि	अभ्युक्ति
10	11	12	13	14	15	16	17

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० ई० एल०एस०एन० बाला प्रसाद,
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 11th August 2014

No. बिक्री-कर/विविध-94/2006-3624(अनु०)—Whereas the state government is satisfied that dealers are playing a significant role in the economic development of the state by collecting taxes on the behalf of the state and that it is necessary to provide grant to the legal dependents of the registered dealers of the state in the event of their accidental death and to achieve the said object;

Bihar State Registered Dealers Accidental Death Grants Scheme, 2014

1. **Short title, extent & commencement-**(1) These Schemes may be called the Bihar State Registered Dealers Accidental Death Grants Scheme, 2014.

(2) It will extend to the whole of the state of Bihar.

(3) It will come into force from the date of issuance of notification.

2. **Definitions-**In these Schemes, unless otherwise requires in the context-

(a) **“Accident”** means death due to accident caused by external violence which is apparent in nature and shall include:-

Train or road accident, electric shock, snake-bite, drowning, fire, falling from tree or building, attack by wild animals, terrorist or criminal attack or death caused by atomic radiation and war etc. However, this list is illustrative and not exhaustive:

Provided that, it shall not include death caused by self inflicted injury or suicide or accident caused under inebriated condition or death caused while committing criminal offences or natural death or death caused by disease:

Provided further that, the Commissioner of Commercial Taxes may accept any death as an accidental death which is not covered under para 2(a) of the scheme.

(b) **“Business Enterprise”** means a business under legal status of Individual or Hindu Undivided Family (HUF) or Partnership firm.

(c) **“Circle-in charge”** means the Deputy Commissioner of Commercial Taxes or the Assistant Commissioner of Commercial taxes or the Commercial Taxes Officer, in charge of the circle or the officer specially empowered by the Commissioner in this behalf;

(d) **“Joint Commissioner of Commercial Taxes ”** means an officer appointed under sub-section (1) of section-10 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005.

(e) **“Commissioner”** means Commissioner of Commercial Taxes appointed under sub-section (1) of section-10 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 or Commissioner as defined in clause (H) of section-2 of the said Act.

(f) **“Dependent”** means widow/widower of registered dealer dependent son, unmarried daughter and parents; in case of deceased unmarried registered dealer, father and mother jointly.

(g) **“Registered Dealer”** means a person whose Business enterprise is registered under the following Act/Acts administered by the Commercial Taxes Department:-

- (i) Bihar Value Added Tax Act, 2005
- (ii) Central Sales Tax Act, 1956
- (iii) Bihar Entertainment Tax Act, 1948

- (iv) Bihar Electricity Duty Act, 1948
- (v) Bihar Advertisement Tax Act, 1981
- (vi) Bihar Hotel Luxury Taxation Act, 1988
- (vii) Bihar Tax on Entry of Goods into Local Areas for Consumption, Use or Sale therein Act, 1993

(h) “**Scheme**” means Bihar State Registered Dealers Accidental Death Grants Scheme, 2014.

3. Words and expressions used herein but not defined in the scheme shall have the same meaning as are assigned them in the Bihar Value Added Tax Act/Rules, 2005

4. This scheme shall be applicable to those registered dealers who have paid admitted tax for his business enterprise:

Provided that the ‘admitted tax’ referred hereinabove shall mean to include tax admitted in the Returns filed and the word ‘Paid’ shall mean to include the amount of tax deducted at source, entry tax and input tax eligible to be set off against the output tax payable and balance, if any, remaining payable has been paid vide challan:

Provided further that, a registered dealer against whom undisputed tax/interest/penalty amount which includes dues of admitted tax and dues of tax decided in Courts, is due or has been convicted of an offence under sub-section (1) or sub-section (2) or sub-section (3) of section 81 of The Bihar Value Added Tax Act, 2005 shall not be eligible for this scheme.

5. In case of accidental death of a registered dealer, a grant of Rs. 2 (two) lakh by way of crossed cheque/demand draft shall be paid to the legal dependents.

6. This expenditure shall be made from the Budget provision of every financial year and shall be debatable to “Expenditure Head-non plan-Major Head-2040-tax on sale trade etc-Minor Head-001-Nideshan and Prasashan Sub-Head-0001-Nideshan-3102 Ex-Gratia Grant. A Budget provision shall be made in the budget of every financial year in this behalf.

7. The amount of grant shall be drawn by the D.D.O (Drawing Disbursing Officer), Commercial Taxes Department, Bihar, Patna under Bill Code N 2040001010001 and shall be paid to the nominated dependent or legal dependent of the deceased.

8. Amount of the grant shall be paid firstly to the dependent nominated in this regard by the dealer and in the absence of nomination to the legal dependent in the order of the dependents specified in sub Para (f) of Para 2 on the basis of family certificate/succession certificate issued by the competent authority.

9. Claim for grant and procedure of payment under this scheme will as follows:-

(a) Firstly the information of accidental death will be given to the concerned circle-in-charge by the nominated dependent or legal dependent of the deceased in the prescribed Form-I.

(b) Thereafter the nominated dependent or legal dependent of the deceased shall apply his claim in Form-II to the circle-in-charge.

(c) After examining the claim the circle-in-charge shall confirm it and forward the matter in Form-III to the concerned Joint Commissioner of Commercial Taxes (Administration) for counter signature.

(d) The Joint Commissioner of Commercial Taxes (Administration) with his recommendation shall forward the claim to the Commissioner, Commercial Taxes Department for payment.

(e) On being satisfied the Commissioner of Commercial Taxes, by an office order, shall pay the amount of claim from the budget provisions of its head to the nominated dependent or legal dependent of the deceased through the circle-in-charge.

10. In the matter of owner of more than one registered Business Enterprises the amount of grant shall be paid to one Business Enterprise only.

11. In the matter of a partnership firm the amount of grant shall be paid to the nominated dependent or legal dependent of deceased partner only.

12. In the matter of an individual business enterprise the amount of grant shall be paid to the nominated dependent or legal dependent. If the deceased dealer has more than one legal wife then the amount of grant will be paid to them as per law of succession.

13. Amount of grant shall be paid within three months from the date of submission of claim.

14. A register shall be maintained in prescribed Form-IV by all circles of Commercial Taxes wherein year wise information regarding accidents and decisions regarding claim shall be duly recorded and preserved.

15. The administrative control of the scheme shall vest with the commissioner at state level, the Joint Commissioner of Commercial Taxes (administration) at division level and the circle-in-charge at circle level.

16. If a registered dealer has an insurance policy his dependent shall not be denied benefit under this scheme.

17. All such officers shall be liable for disciplinary action if they willfully fail to discharge their duties prescribed under this scheme.

18. Department of Commercial Taxes shall have the powers to amend these Schemes and issue instructions from time to time for implementation of the scheme.

**“Form-I relating to information of accidental death for the
Claim of grant” under Bihar State Registered Dealers
Accidental Death Grant Scheme, 2014
(Triplicate*)**

To,

The Circle-in-Charge

Name of Circle-

Subject: **Information of accidental death of registered dealer.**

Sir,

It is informed that the following registered dealer has died in accident, details thereof are as follow:-

1. Name of the deceased registered dealer.....
2. Date of accident and brief details thereof:-.....
.....
3. Date of Death.....
4. Name of Business enterprise with address: -.....
5. Registration No. (TIN).....
6. Name of circle: -.....Name of division:-.....
7. Name of claimant/dependent for grant and his relation with the deceased:-
.....
Name and address of the informant of death:-
Telephone No./Mobile No./E-mail:-.....
All required documents in respect of accident and claim of grant will be submitted later on:-

Date:-

Signature:-

**Receipt under Bihar State Registered Dealers Accidental
Death Grant Scheme, 2014**

Received the information in Form-I about the accidental death of Registered Dealer
Late.....Srimati/Shri.....

Signature.....

Name.....

Designation.....

Seal.....

Date.....

“Form-II” relating to “claim of grant” under Bihar State Registered Dealers Accidental Death Grant Scheme, 2014 (InTriplicate*)

To,

The Circle-in-Charge
Name of Circle-

1. Name of the deceased registered dealer
2. Name of Father/Husband:-
3. Date of Birth of the deceased dealer :-
4. Name of Business Enterprise :-
5. Address of Business Enterprise :-
6. Taxpayer Identification No. (TIN) of the dealer :-.....
7. Name of circle :-
8. Date of accident :-.....
9. Complete details of place of accident :-.....
10. Cause of accident (with brief details) :-
11. Brief details of treatment after accident :-.....
12. Date of death :-.....
13. Cause of death (Enclose certificate of the hospital) :-.....
14. Name of dependent :-.....
15. Address of dependent :-.....
16. Relation of dependent with the deceased :-.....
17. Telephone/Mobile No./E-mail:-.....

Enclosures :-

1. Attested copy of the death certificate
2. Attested copy of the post mortem report
3. Attested copy of the F.I.R.
4. Attested copy of the registration certificate of Commercial Taxes Circle :-
5. Evidence of tax payment during the year of claim.

Place :-

Signature of dependent:

Date :-

Address:

Receipt under Bihar State Registered Dealers Accidental Death Grant Scheme, 2014

Received grant claim Form-II regarding the claim of accidental death of registered dealer Late
.....Smt./Shri.....on

Signature.....

Name:.....

Designation:.....

Seal:.....

Date:.....

Name & Address of Nominated dependent/ Legal dependent	Relation of Nominated dependent/Legal dependent with the deceased	Form-III Date of Issue	Office order Number & date of Sanction order of Commissioner Commercial taxes	Office order date of Receipt	Bill No. & Date	Date of Payment	Remarks
10	11	12	13	14	15	16	17

By order of the governor of Bihar,
 Dr. E.L.S.N. BALA PRASAD,
Commissioner-Cum-Secretary,
Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
 बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
 बिहार गजट (असाधारण) 651-571+500-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>